राजस्व विभाग, उ0 प्र0
लेखपाल भर्ती परीक्षा – 2015

जनपद का नाम – **परीक्षा का नाम : लेखपाल**

विज्ञापन संख्या– /भूलेख– दिनांक जून, 2015

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथिः– 21 जुलाई 2015

आन–लाईन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अंतिम तिथि– 22 जुलाई 2015

विशेष सूचना (क) बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गई धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।''

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं0 देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश दिये जायेगें।

आन –लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना :–

यह विज्ञापन राजस्व परिषद की Website http://bor.up.nic.in व संबंधित जनपद की वेबसाईट (परिशिष्ट –) पर भी उपलब्ध होगा। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन–लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन ('Submit')करें :–

1– परिषद की Website http://bor.up.nic.in एवं संबंधित जनपद की बेवसाइट के अनुसार पर "**लेखपाल भर्ती परीक्षा – 2015**" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर निम्नलिखित भाग स्वतः प्रदर्शित होगा :–

- महत्वपूर्ण तिथियाँ और सहायता पटल विवरण
- विज्ञापन
- आवेदन कैसे करें
- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
- शुल्क भुगतान प्रक्रिया
- पाठ्यक्रम
- जनपद्वार विज्ञापन/विवरण देखें

How to Apply (**आवेदन कैसे करें**) में अभ्यर्थियों को आन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। ''आन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :–

आंशिक श्रवणह्रास अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क देय नहीं है। अतः वे बिना आवेदन शुल्क का भुगतान किये अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं।

प्रथम स्तर :–परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु **(चरण-1)**: "Payment of Fee through SBI Payment Gateway (**शुल्क का भुगतान - भारतीय स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे द्वारा**)" **Click करें।** इसके पश्चात अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की बेवसाइट के माध्यम से आन–लाइन(डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,इन्टरनेट बैंकिंग) अथवा **ई–चालान** के माध्यम से एस0बी0आई0 के किसी भी शाखा में नकद रूप से जमा कर सकते है।
आवेदन शुल्क जमा करने से प्रायः अभ्यर्थी को पोस्ट अपलाईड, डिस्ट्रिक्ट, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम,अभ्यर्थी के माता का नाम,ई–मेल आई–डी(अगर उपलब्ध हो) ,मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।

आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात बैंक द्वारा दिये गये "Transaction ID/DU No." को अभ्यर्थी सुरक्षित रखें इसी का उपयोग करके अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ('Submit') करेगें और दिनांक अंकित किया जायेगा जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन करते समय अभ्यर्थी को करना होगा।

द्वितीय स्तर : बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद, अग्रेतर कार्य दिवस मे **(अपरान्ह 2.00 बजे के पश्चात)** अभ्यर्थी को वेबसाइट **http://bor.up.nic.in अथवा** सम्बन्धित जनपद की वेबसाइट (परिशिष्ट–1) पर जाकर "Fill Application Form" पर क्लिक करें।
Click करने पर एक लागिन पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को बैंक द्वारा दिये गये "Transaction ID/DU No." तथा अपनी जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) अंकित कर लागिन करेगें। लागिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को आन लाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। । आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियॉ अंकित करने के बाद "Priview" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आन–लाइन आवेदन प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन–लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आवेदन संबंधित कार्यालय को प्राप्त नहीं होगा, जिसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

"Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट अभ्यर्थी को आवेदित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. <u>आवेदन शुल्क</u> : परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु (चरण-1): "Payment of Fee through SBI Payment Gateway (**शुल्क का भुगतान - भारतीय स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे द्वारा**)" **पर Click करें।** इसके पश्चात अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की बेवसाइट के माध्यम से आन–लाइन(डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,इन्टरनेट बैंकिंग) अथवा **ई–चालान** के माध्यम से एस0बी0आई0 के किसी भी शाखा में नकद रूप से जमा कर सकते है। अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैंः–

(i) अनारक्षित सामान्य – परीक्षा शुल्क रू0 300/–.आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 15/–
योग = रू0 315/–

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग – परीक्षा शुल्क रू0 300/–. आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 15/–
योग = रू0 315/–

(iii) अनुसूचित जाति – परीक्षा शुल्क रू0 150/–.आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 15/–
योग = रू0 165/–

(iv)अनुसूचित जनजाति परीक्षा शुल्क रू0 150/–.आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 15/–
योग = रू0 165/–

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित– क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

(vi) भूतपूर्व सैनिक – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

(vii) महिला – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

(vii) विकलांग श्रेणी **((केवल आंशिक श्रवणह्रास (PARTIAL DEAF) श्रेणी के लिए))** परीक्षा शुल्क व आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क **शून्य**।

4. Submit किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथि तक वे दूसरा आन–लाइन आवेदन संशोधित सूचना के साथ Submit कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन Submit करने की दशा में अभ्यर्थी जिस **आवेदन संख्या** के प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसी **आवेदन संख्या** का आवेदन पत्र अंतिम रूप से मान्य होगा । शेष सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

5. राजस्व विभाग इस विज्ञापन में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे। केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा जो उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना की जानकारी ई–प्रवेश पत्र के माध्यम अभ्यर्थियो द्वारा डाउनलोड करके प्राप्त की जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती ळें

6. **<u>रिक्तियों की संख्या</u>** वर्तमान में प्रदेश में लेखपाल पद की रिक्तियों की कुल संख्या– 13600 है, जो विज्ञप्ति में जनपदवार प्रकाशित करायी गयी है।
अभ्युक्ति– विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

<u>7. वेतनमान</u> : रू0 5,200/– से रू0 20,200/– ग्रेड वेतन–रू0 2000/– अराजपत्रित/ अस्थाई/ स्थाई

8. **<u>आरक्षण</u>** : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अद्यतन विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों, उ0प्र0 के समाज के विकलांगों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।
नोट– (1)आरक्षण व आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–3 में मुद्रित तथा वेवसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे संबंधित जनपद के चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें। (2) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/ उप श्रेणी अवश्य अंकित करें।
(3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।
(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, आंशिक श्रवणह्रास (पी.डी.), भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. **<u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें</u>** :– केवल आयु में छूट हेतु आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1976 –कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :– **(1)** ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। **(2)** ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो।(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो। आवेदन पत्र Submit करने की अंतिम तिथि तक पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है।

<u>10 वैवाहिक प्रास्थिति</u> : ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

<u>शैक्षिक अर्हतायें</u> : 1. अनिवार्यः सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2- **अधिमानी अर्हता**: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>आयु सीमा</u> : अभ्यर्थियों को पहली जुलाई 2015 को 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और इस दिनांक को उन्हें 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1975 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1997 के बाद का नहीं होना चाहिये। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ. प्र. राज्य के वर्गी खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी । इसी प्रकार उ0प्र0 के विकलांगजन (**आंशिक श्रवणह्रास**) अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष है। उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि के अतिरिक्त आयु सीमा तीन वर्ष और अधिक होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

<u>13 परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचनायें</u> :–(1)परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियो को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से डाउनलोड करनी होगी। (2) मूल प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जनपद की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के समय की जायेगी। उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो अप्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। (3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>नोट</u> – अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ आवेदन पत्र में किये गये समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के अध्यक्ष चयन समिति/कलेक्टर के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र–संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठयक्रम :–</u>

परीक्षा की योजना : परीक्षा में क्रमवार दो स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा,(2) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा)

1– परीक्षा के लिये निर्धारित विषय : परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 सीट के रूप में होगें।

लिखिल परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की कुल 80 अंको की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी के लिये 20 अंक, गणित के लिये 20 अंक, सामान्य ज्ञान के लिये 20 अंक व ग्राम समाज एवं विकास के लिये 20 अंक निर्धारित किये गये है।

साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

<u>14 अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण अनुदेश</u> : अध्यक्ष चयन समिति/कलेक्टर के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को **<u>अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।</u>** बेबसाइट पर आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवत अनुमन्य नहीं है। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। परीक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारो को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की बेबसाइट http://bor.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम, 1997 की धारा–2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित सपठित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

<u>आवेदन पत्र Submit करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।</u> परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियो द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में संबंधित जनपद अध्यक्ष चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में संबंधित जनपद के अध्यक्ष चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु लगभग 3 गुना तक अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षत्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए विहित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। **अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में केवल Black Ball Pen का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से कदापि मिटाया न जाये।**

परीक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थियों द्वारा **ई–प्रवेश पत्र** के माध्यम से **डाउनलोड** किया जायेगा, जो कि परिषद की बेबसाइट http://bor.up.nic.in पर और जनपद की वेबसाइट. पर उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही संबंधित जनपद के अध्यक्ष चयन समिति/कलेक्टर द्वारा नियत तिथि पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

सामान्य अनुदेश – अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर से प्राप्त कराये गये आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन आन–लाइन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर परिशिष्ट–3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे अध्यक्ष चयन समिति को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

अभ्यर्थियो को इस विज्ञापन को सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करें जब सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश कराने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा प्रश्नगत परीक्षा से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार अध्यक्ष चयन
समिति/कलेक्टर को होगा।

यदि अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "HELP DESK" से अपने कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

लिखित परीक्षा हेतु जिलों की सूची तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना Website पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form

Notification Details:

This section shows information relevant to notification.

Personal Details:

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number. Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Service man, service duration and your physical deformity.

Education Details

It shows your eligible educational details.

Photo & Signature Upload

Here you will see your photo with your signature.

Fee submission & Declaration

There will be Fee details. At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For Other Information:

For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of website **http://bor.up.nic.in** and other District websites.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.

<u>उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

प्रारूप – ।

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
Certificate No............................... Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum...
....son/wife/daughter of Shri..................................
. .. . age. .. .. sex. .. .. .identification mark
(S).. .is suffering from permanent disability of following category:

A.Hearing impairment:
(i) D-Deaf
(ii) PD-Partialy Deaf
(Delete the category whichever is not applicable)

2.This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case
is not recommended/is recommended after a period of.....................year.........................months.

3. Percentage of disability in his/her case is................percent.

4. Sh./Smt./Kum. ....meets the following physical requirements discharge of his/her duties:
(i) F-can perform work by manipulating with figers. Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.

5. The Signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever neceddary. If the Applicatn's signature on answer script, at the time of the examnation does not match the sihnature of the Hall Ticket, the applicant will be disqualified

6. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:
(i) F-can perform work by manipulating with figers. Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No
(v) B-can perform work by bending. Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing. Yes/No

(viii) W-can perform work by walking Yes/No

(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr.......................)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable

उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनातियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ....
.......ग्राम .... तहसील .... नगर ....
...............जिला .... उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पात्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री(विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) राज्य की .... जाति के व्यक्ति है के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ....के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाडियों के लिये प्रमाण पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी है
शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण पत्र के फार्म 1 से 4 प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता से भाग लेने वाले खिलाडियों के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाडियों के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....में आयोजित (क्रीडा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/(टूर्नामेंट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीडा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोतिगता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र .... (प्रादेशीय संघ का नाम) मे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

नोट– यह प्रमाण पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप – 2</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से भाग लेने वाले खिलाडियों के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाडियों के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/ आत्मज श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....में आयोजित (क्रीडा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/(टूर्नामेंट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीडा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोतिगता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र .... (प्रादेशीय संघ का नाम) मे ंउपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

नोट– यह प्रमाण पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त कीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्यलय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियों के लिये विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाडियों के लिये)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यलाय की कक्षा ....के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....स्थान का नाम .... आयोजित अर्न्तविश्वविद्यलय .... में (कीडा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोतिगता/टूर्नामेंट .... में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण पत्र .डीन आर्फ स्पोर्टस अथवा इंचार्ज खेलकूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट– यह प्रमाण पत्र .डीन आर्फ स्पोर्टस अथवा इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाडी के लिये)
डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा, उ0प्र0 राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाडियों के लिये प्रमाण पत्र

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री .... निवास (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....स्थान का नाम .... आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीडा/खेलकूद का नाम) प्रतियोतिगता/टूर्नामेंट .... स्कूल की ओर से भाग लिया।

नोट– यह प्रमाण पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिर्कोड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :
दिनांक :
हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

पाठ्यक्रम

परीक्षा की योजनाः– परीक्षा में दो स्तर सम्मिलित हैं यथा

(1) वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा

(2) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा)

<u>वस्तुनिष्ठ परीक्षा</u>

वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए निर्धारित विषयः–

परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नप्रत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 शीट के रूप में होंगे। परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम निम्नानुसार है –

वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 80 अंको का होगा जिसमें 100 प्रश्न होगें। इस प्रश्न पत्र में कुल चार भाग होगें –

1–सामान्य हिन्दी	25 प्रश्न	20 अंक
2–गणित	25 प्रश्न	20 अंक
3–सामान्य ज्ञान	25 प्रश्न	20 अंक
4–ग्राम समाज एवं विकास	25 प्रश्न	20 अंक

साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) 20 अंक

वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है –

1– सामान्य हिन्दी

अलंकार, रस, ; समास, ; पर्यायवाची, ; विलोम, ; तत्सम एवं तद्भव, ; संधियां,; वाक्यांशों के लिये एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ; वाक्य संशोधन– लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, ; अनेकार्थी शब्द।

2– गणित

अंकगणित एवं सांख्यिकी – संख्या पद्धति, प्रतिशतता, , लाभ–हानि, सांख्यिकी
आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता ।
आंकड़ों का निरूपण, दण्ड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज।
केन्द्रीय माप–समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक।

बीजगणित

लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणन खंड, क्षेत्रफल प्रमेय।

रेखागणित

त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब, समान्तर, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल।

3— सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समायिक घटनायें, भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राज्यव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो।

भारत के इतिहास के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्तिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय आन्दोलन पर राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रीय वाद का अभ्युदय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे।

विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक/पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषताः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है।

4— ग्राम समाज एवं विकास

ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनायें एवं प्रबन्धन, ग्राम विकास शोध प्रणालियॉ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाऐं, ग्रामीण समाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार।